भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 455

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

"केरल को केंद्रीय सहायता में कमी"

455. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार के वित्त विभाग ने एक वक्तव्य जारी किया है कि केरल राज्य को योजनाओं के लिए कर राजस्व और केंद्रीय अनुदान के रूप में केंद्रीय सहायता में लगभग 57,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल को 57,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता में भारी कमी के क्या कारण हैं तथा वे घटक कौन-कौन से है जिन पर यह कमी परिलक्षित होती है;

(घ) केरल राज्य सरकार को माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण है;

(ङ) केरल को राजस्व घाटे के अनुदान में कमी किए जाने के क्या कारण है; और

(च) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल को केंद्रीय सहायता/राजस्व में हिस्से दारी के लिए दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विचारार्थ विषय क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): राज्यों को केंद्रीय सहायता साझा करने योग्य करों की निवल आय में राज्यों के हिस्से के अंतरण**,** वित्त आयोग (एफसी) अनुदान**,** जीएसटी मुआवजा आदि के रूप में प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों में केरल राज्य को दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(i) राज्यों के हिस्से का अंतरण

केंद्र के साझा करों की निवल आय में राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी की सिफारिश वित्त आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार, केरल राज्य सरकार को साझा करने योग्य करों और शुल्कों के अंतरण के कारण जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	रु. करोड़
2020-21	11560.40
2021-22	17820.09
2022-23	18260.68
2023-24 (जनवरी 2024 तक)	15789.76

(ii) वित्त आयोग (एफसी) अनुदान:

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान केरल सरकार को जारी किए गए अंतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान सहित अनुदानों का विवरण **अनुलग्नक- I** में संलग्न है। अनुदानों की मात्रा में कमी अन्य बातों के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान में कमी, पिछले वर्षों में जारी अनुदानों का उपयोग न होना और राज्य द्वारा पात्र मानदंडों की पूर्ति न होने के कारण नोडल मंत्रालय की सिफारिशें प्राप्त न होने से है।

(iii) वित्त आयोग (एफसी) अनुदान के अतिरिक्त प्रदत्त अनुदान:

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के अतिरिक्त केरल को उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों को **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

(iv) जीएसटी मुआवजा उपकरः

संविधान (एक सौ एकवें संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, माल और सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा पांच साल की अवधि के लिए देय है। परिवर्तन काल के दौरान, राज्यों के राजस्व को वर्ष 2015-16 के आधार वर्ष के राजस्व पर 14% प्रति वर्ष की दर से संरक्षित किया जाता है। केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्षों के लिए जीएसटी मुआवजे के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है।

संसद द्वारा अधिनियमित, माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य को देय मुआवजे की अनंतिम गणना की जाएगी और हर दो महीने की अवधि के अंत में जारी किया जाएगा, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से गणना की जाएगी। भारत सरकार पांच साल अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक माल और सेवा कर के लागू होने के कारण राजस्व के होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही केरल को अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी मुआवजा की 28054 करोड़ रुपये की पूरी राशि जारी कर चुकी है। बताया जाता है कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए एजी प्रमाणपत्र महालेखाकार, केरल से प्राप्त हो चुका है। उसी के अनुसार, केरल को देय बकाया मुआवजा रु. 737.88 करोड़ है और इसे जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(च) जी, नहीं।

अनुलग्नक-I

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केरल को जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़)

		15वें वित्त आयोग अवार्ड अवधि			
क्र.सं.	**घटक**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (29-01-24** तक)
1	अंतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान	15322.80	19891.00	13174.00	3957.50
2	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्र का हिस्सा	314.00	251.20	264.00	138.80
3	राज्य आपदा शमन निधि में केंद्र का हिस्सा	0.00	62.80	0.00	66.00
4	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	784.00	336.00	604.00	348.81
5	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	1628.00	1203.00	1246.00	630.00
6	स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान	0.00	427.13	94.30	458.03
	कुल योग	**18048.80**	**22171.13**	**15382.30**	**5599.14**

अनुलग्नक-II

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**मद**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (30.01.2024 तक)**	**कुल**
1	**'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता'** योजना के तहत सहायता	82	239	1,902	-	**2,223**
2	नियोक्ता और कर्मचारियों के हिस्से के लिए अतिरिक्त उधार ने **नई पेंशन योजना** में योगदान दिया	-	-	1,755	1,787	**3,542**
3	**ऑफ-बजट उधार के पुनर्भुगतान** के कारण अतिरिक्त उधार का लाभ	-	3,322	201	-	**3,523**
4	**जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए बैक टू बैक ऋण**	5,766	8,739	-	-	**14,505**
5	**आत्म निर्भर भारत (अर्थात जीएसडीपी का 2%)** के तहत अतिरिक्त उधार	18,087	-	-	-	**18,087**
6	**कम कर संग्रह के कारण विशेष छूट** के रूप में अतिरिक्त उधार	-	-	-	-	**1,471**
	कुल योग	**23,935**	**12,300**	**3,858**	**1,787**	**43,351**

***